

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिड्यु केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन, क्रमांक 668 दिनांक 11/8/2020

प्राथी सजय कोठारी डा 6 श्री खपालल कोठारी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P. No = 184 ए ग्राम जोधपुर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश खमरा संख्या 735/72, 71, 68, 49

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14325/- जमा 47 एं 46

जरिये रसीद संख्या 9069/1005, 1006

दिनांक 11/8/2020 को जमा करा दी है ।

11/8/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

जी + 1
आवासीय

11/8/2020